प्राचीन स्मारकों एवं मंदिरों पर लगेंगे शिलालेख

पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कलेक्टर ने दिए निर्देश

बैठक में एक गीता भवन बनाने की योजना पर हुई चर्चा

नवभारत न्यूज,

टीकमगढ़। मंगलवार को पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जिला पुरातत्व एवं पर्यटन समिति की बैठक आयोजित की गई। कलेक्ट्रेट परिसर में हुई इस बैठक में जिले के प्राचीन स्मारकों और मंदिरों पर शिलालेख लगाने का निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त, नजर बाग में एक गीता भवन बनाने की योजना भी तैयार की जा रही है, जिसमें एक संग्रहालय भी स्थापित किया जाएगा।

कलेक्टर विवेक श्रोत्रिय की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में उन्होंने जिले के पर्यटन और पुरातात्विक महत्व के स्थानों को चिह्नित करने के निर्देश दिए। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए एक टूरिस्ट सर्किट विकसित किया जाएगा। कुण्डेश्वर मंदिर के पास वन्य जीव संरक्षण केंद्र, फूड कोर्ट और एक छोटा पार्क बनाने के लिए डीएफओ से चर्चा की गई। इस पूरे परिसर को वन्य प्राणी अनुभव क्षेत्र के रूप में विकसित करने की योजना है।बैठक में पर्यटन स्थलों पर बुनियादी सुविधाएं जैसे पर्यटक सूचना केंद्र, पेयजल, शौचालय और पार्किंग की व्यवस्था करने पर भी जोर दिया गया। जिले को झांसी, खजुराहो और भोपाल से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ-साथ आंतरिक सड़कों को भी बेहतर बनाने का निर्णय लिया गया। शहर में बुंदेली हाट की स्थापना की भी योजना है। यहां स्थानीय कलाकार पीतल के सामान, हस्तनिर्मित टेराकोटा, बेंत-बांस शिल्प और पारंपरिक वस्त्रों का प्रदर्शन और बिक्री कर सकेंगे। इस परियोजना से स्थानीय कला और संस्कृति को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। मंगलवार को पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जिला पुरातत्व एवं पर्यटन समिति की बैठक आयोजित की गई।

कलेक्ट्रेट परिसर में हुई इस बैठक में जिले के प्राचीन स्मारकों और मंदिरों पर शिलालेख लगाने का निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त, नजर बाग में एक गीता भवन बनाने की योजना भी तैयार की जा रही है, जिसमें एक संग्रहालय भी स्थापित किया जाएगा। जिले के पुरातात्विक महत्व के अन्य स्थलों का सर्वेक्षण कराकर उन्हें राज्य संरक्षित सूची में शामिल कराने की पहल करने को भी कहा। जिले को झांसी, खजुराहो और भोपाल से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ-साथ आंतरिक सड़कों को भी बेहतर बनाने का निर्णय लिया गया।

प्रचार-प्रसार के लिए कार्ययोजना बनाने के निर्देश

कलेक्टर श्रोत्रिय ने मोहनगढ़ किले में हेरिटेज वेडिंग और शूटिंग की अपार संभावनाओं पर भी बात की। इसके लिए जल्द ही पर्यटन विभाग के सहयोग से काम शुरू किया जाएगा। उन्होंने पुरातत्व विभाग को टीकमगढ़ स्थित संग्रहालय और राज्य संरक्षित सूची में दर्ज स्थलों जैसे गुप्तेश्वर मंदिर-मोहनगढ़, सूर्य मंदिर मड़खेरा, शिव मंदिर बड़ागांव, सूर्य मंदिर-उमरी, गढ़ी अस्तौन, जतारा का किला, पापट संग्रहालय और कुण्डेश्वर के बेहतर रख-रखाव, संरक्षण और प्रचार-प्रसार के लिए कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए।

बारिश होने से किसानों ने ली राहत की सांस

नवभारत न्यूज

टीकमगढ़। जिले में पिछले 48 घंटों से मानसून सक्रिय है और रुक-रुककर बारिश हो रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान जिले में औसतन 1 इंच बारिश दर्ज की गई। इसमें पलेरा तहसील में सर्वाधिक 48 मिलीमीटर 2 इंच वर्षा हुई। मौसम में आए इस बदलाव से दिन और रात के तापमान में गिरावट आई है। रविवार को अधिकतम तापमान 38 डिग्री था, जो सोमवार को घटकर 35.5 डिग्री पर आ गया। न्यूनतम तापमान 25.8 डिग्री दर्ज किया गया।

हालांकि, इस साल 1 जून से 7 जुलाई तक हुई बारिश पिछले साल की तुलना में काफी कम है। पिछले वर्ष इसी अवधि तक जिले में औसतन 19.6 इंच बारिश दर्ज की गई थी, जबकि इस बार यह आंकड़ा केवल 3.8 इंच है।टीकमगढ़ तहसील में अब तक 4.5 इंच बारिश हुई है, जबकि पिछले साल 7 जुलाई तक 29 इंच बारिश हो चुकी थी। बड़गांव तहसील में इस साल 3.5 इंच बारिश दर्ज की गई है, जबकि पिछले साल 13 इंच बारिश हुई थी। अन्य तहसीलों में बल्देवगढ़ में 3.5 इंच, खरगापुर में 4 इंच, जतारा में 4 इंच, मोहनगढ़ में 3.5 इंच, लिधौरा में 2 इंच और पलेरा में सर्वाधिक 2 इंच बारिश हुई है।

नवागत एसडीएम ने संभाला जतारा का प्रभार

नवभारत न्यूज

जतारा। मंगलवार को जतारा के नवागत एसडीएम नीरज खरे ने औपचारिक रूप से अपना पदभार ग्रहण किया। पदभार संभालते ही उन्होंने कार्यालय की कार्यप्रणाली का जायजा लिया और लंबे समय से लंबित पड़ी फाइलों की समीक्षा की।

इस दौरान एसडीएम नीरज खरे ने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देश दिए कि सभी लंबित प्रकरणों का समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि आमजन से जुड़े मामलों में अनावश्यक विलंब नहीं होना चाहिए तथा प्रत्येक प्रकरण का नियमानुसार और समय पर निपटारा किया जाए।

पदभार ग्रहण के बाद उन्होंने कार्यालयीन व्यवस्था का भी निरीक्षण किया और कर्मचारियों को समय की पाबंदी, पारदर्शिता तथा जवाबदेही के साथ कार्य करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि शासन की प्राथमिकताओं के अनुरूप जनहित से जुड़े कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि आम नागरिकों को समय पर बेहतर प्रशासनिक सेवाएं उपलब्ध हो सकें। मंगलवार को जतारा के नवपदस्थ एसडीएम नीरज खरे ने औपचारिक रूप से अपना पदभार ग्रहण किया। पदभार संभालते ही उन्होंने कार्यालय की कार्यप्रणाली का जायजा लिया और लंबे समय से लंबित पड़ी फाइलों की समीक्षा की।

बिजली कटौती से परेशानी

नवभारत न्यूज टीकमगढ़।

नगर में पिछले तीन दिनों से लगातार हो रही अनियमित बिजली कटौती से आमजन को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

बिजली बार-बार गुल हो जाती है और कुछ देर बाद आती है, फिर दोबारा चली जाती है। इस वजह से लोगों की दिनचर्या पूरी तरह प्रभावित हो रही है। इन दिनों उमस भरी गर्मी के कारण लोगों का हाल बेहाल है। बिजली की आवाजाही से घरों में पंखे, कूलर और अन्य विद्युत उपकरण ठीक से नहीं चल पा रहे हैं। बिजली कटौती से आमजन को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

10 तक कराएं मान्यता का नवीनीकरण

नवभारत न्यूज

टीकमगढ़। शिक्षा का अधिकार अधिनियम अंतर्गत सत्र 2026-27 के लिए अशासकीय विद्यालयों की मान्यता नवीनीकरण एवं नवीन मान्यता प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन लॉक करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 10 जुलाई निर्धारित की गई है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार पूर्व में मान्यता आवेदन की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर 2025 निर्धारित की गई थी, जिसे बढ़ाकर 20 जनवरी 2026 किया गया था। इसके बावजूद कुछ अशासकीय विद्यालयों द्वारा निर्धारित समय-सीमा में ऑनलाइन आवेदन लॉक नहीं किए जा सके हैं। छात्रहित को दृष्टिगत रखते हुए विलंब शुल्क सहित आवेदन लॉक करने की अंतिम तिथि में पुन: वृद्धि कर 10 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है। संबंधित अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि 10 जुलाई 2026 के बाद मान्यता आवेदन की अंतिम तिथि में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं की जाएगी तथा अन्य सभी निर्देश पूर्ववत प्रभावशील रहेंगे। शिक्षा के अधिकार नियमों के अनुसार यदि कोई विद्यालय निर्धारित समयावधि में विहित प्रक्रिया के अनुरूप ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत नहीं करता है।

शासन ने योग्य शिक्षकों से मांगे आवेदन

नवभारत न्यूज

टीकमगढ़। अनुसूचित जाति एवं जनजातीय कार्य विभाग द्वारा शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए जिले में संचालित शासकीय अनुसूचित जाति उत्कृष्ट एवं महाविद्यालयीन छात्रावासों में निवासरत विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण कोचिंग उपलब्ध कराने हेतु योग्य एवं अनुभवी शिक्षकों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।

कार्यालय आयुक्त अनुसूचित जाति विकास, भोपाल के निर्देशानुसार जिले के उत्कृष्ट बालक एवं कन्या छात्रावास टीकमगढ़, बल्देवगढ़, पलेरा एवं जतारा में कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को फि जिक्स, केमेस्ट्री, बायोलॉजी, गणित, अंग्रेजी एवं कम्प्यूटर विषयों की कोचिंग प्रदान की जाएगी। वहीं शासकीय अनुसूचित जाति महाविद्यालयीन बालक छात्रावास टीकमगढ़ तथा महाविद्यालयीन कन्या छात्रावास टीकमगढ़, पलेरा एवं जतारा में निवासरत बीए, बीएससी, एमए एवं एमएससी के विद्यार्थियों के लिए अंग्रेजी पाठ्यक्रम की कोचिंग की व्यवस्था की जाएगी।

अगस्त तक शिकार बंद

नवभारत न्यूज टीकमगढ़।

मध्यप्रदेश राज्य में मध्य प्रदेश नदीय मत्स्योद्योग नियम के अंतर्गत 16 जून से 15 अगस्त तक की अवधि को बंद ऋतु के रूप में घोषित किया गया है।

मत्स्य विक्रय, मत्स्य विनिमय एवं परिवहन करना भी प्रतिबंधित है एवं संज्ञेय दण्डनीय अपराध है। इस नियम का उल्लंघन करने पर मध्यप्रदेश राज्य मत्स्य क्षेत्र संशोधित अधिनियम के तहत उल्लंघनकर्ता को एक वर्ष का कारावास या 5 हजार अथवा दोनों से दण्डित किया जाएगा।

आज से होगा सूची का प्रकाशन

नवभारत न्यूज

टीकमगढ़। शासकीय आईटीआई में सत्र 2026-27 के प्रवेश हेतु प्राप्त ऑनलाइन आवेदनों के आधार पर प्रथम चरण की मेरिट सूची का प्रकाशन 8 जुलाई को किया जाएगा। प्रवेश प्रक्रिया 8 जुलाई से 11 जुलाई तक संपन्न होगी। जिन अभ्यर्थियों का नाम मेरिट सूची में शामिल हो, वे निर्धारित तिथि के भीतर आवश्यक मूल दस्तावेजों सहित संस्था में उपस्थित होकर प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करें।

प्रवेश हेतु प्रथम चरण की मेरिट सूची का प्रकाशन पद पर किया जाएगा। अभ्यर्थी निर्धारित तिथि से पोर्टल पर अपनी मेरिट एवं आवंटित संस्था की जानकारी देख सकते हैं।महिला सशक्तिकरण एवं कौशल विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से महिला प्रशिक्षणार्थियों के लिए संस्थान में 35 प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं। साथ ही, अधिकाधिक महिलाओं को तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा से जोड़ने के लिए कौशल विकास संचालनालय, मध्यप्रदेश द्वारा महिला प्रशिक्षणार्थियों के प्रशिक्षण शुल्क में 25 प्रतिशत की विशेष छूट प्रदान की जा रही है।

फसलों को लेकर दी गई जानकारी

नवभारत न्यूज टीकमगढ़।

कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा अन्न फसलों की उत्पादन तकनीक और भोजन में उनके महत्व पर किसानों को सलाह दी गई हैं।

केंद्र के प्रधान वैज्ञानिक एव प्रमुख डॉ. बीएस किरार, केंद्र के वैज्ञानिक डॉ.एसके जाटव द्वारा धान्य बाजरा, ज्वार, रागी, साँवा, कोदो, कंगनी, कुटकी, चीना आदि की वैज्ञानिक खेती के प्रमुख बिंदुओं अपना कर इनकी जैविक या प्राकृतिक खेती अर्थात् बिना रासायनिक उर्वरक और दवायों की खेती करने की सलाह दी।

व्यावसायिक प्रशिक्षण में निभाई भागीदारी

नवभारत न्यूज

टीकमगढ़। कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा ग्रामीण युवाओं एवं किसानों के लिए आयोजित सात दिवसीय व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम व्यावसायिक बकरी पालन स्वरोजगार की एक राह सफलतापूर्वक समापन हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता कृषि विज्ञान केंद्र के प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख तथा कार्यक्रम मार्गदर्शक डॉ. बीएस किरार द्वारा की गई।

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पशुपालन एवं डेयरी विभाग, के उपसंचालक डॉ. आर.के. जैन उपस्थित रहे। संपूर्ण कार्यक्रम का संचालन व समन्वयन पाठ्यक्रम संचालक डॉ. सतेन्द्र कुमार वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा किया गया। प्रशिक्षण में ग्राम सुनौनी, हजूरी नगर, हीरानगर, सूरजपुर, सुकवाहा, गणेशगंज और करमासन घाट के कुल 35 किसानों ने सक्रिय भागीदारी निभाई। प्रशिक्षण को सफल बनाने में कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों डॉ. आरके प्रजापति, डॉ. एसके सिंह, डॉ. एसके जाटव एवं डॉ. आईडी सिंह का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

बीज वितरण में अनियमित्ताओं के लगाए आरोप

नवभारत न्यूज

मोहनगढ़। मोहनगढ़ क्षेत्र में खरीफ सीजन के लिए किसानों को वितरित किए जा रहे बीजों में अनियमितताओं और धांधली के आरोप सामने आए हैं। जतारा ब्लॉक के खाकरोन गांव के किसान चंद्रभान और मोहन कुशवाहा का कहना है कि मूंगफाली, उड़द, तिल आदि बीज वितरण के दौरान उनसे खरीफ के बीज वितरण में धांधली की गई, बताया गया कि जतारा महिला फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के द्वारा मोहनगढ़ के खाकरोंन, काँटी और नन्दनपुर गाँव में बीज का स्टॉक किया गया था, खाकरोंन गाँव के किसानों का आरोप है कि गाँव जितेंद्र पाल के द्वारा किसानों से मनचाहे पैसे लेकर बगैर रसीद दिए अपने चहेतो कों बीज का वितरण किया गया यहां तक की गरीब किसानों को शासन की इस योजना का कोई लाभ नहीं मिला। किसानों का कहना है कि बीज वितरण के दौरान उनसे निर्धारित राशि तो ली गई, लेकिन उसके बदले कोई रसीद या भुगतान पावती नहीं दी गई। इससे किसानों में भारी नाराजगी है और उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। क्षेत्र के किसानों ने जिला प्रशासन, कृषि विभाग एवं संबंधित अधिकारियों से मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए, बिना रसीद लिए गए भुगतानों की सत्यता की जांच हो तथा यदि किसी कर्मचारी या अधिकारी की भूमिका सामने आती है तो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही भविष्य में सभी किसानों को भुगतान की अनिवार्य रसीद उपलब्ध कराने और बीज वितरण प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

ज्ञापन | प्रभारी अध्यक्ष एवं सीएमओ से मुलाकात कर दिया ज्ञापन

विभिन्न मुद्दों को लेकर कांग्रेसी पार्षदों ने जताई नाराजगी

नवभारत न्यूज

टीकमगढ़। मंगलवार को कांग्रेसी पार्षदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने प्रभारी अध्यक्ष और सीएमओ से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर नाराजगी व्यक्त करते हुए अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा।

पार्षदों ने प्राचीन नजरबाग मंदिर के पास सुलभ कॉम्प्लेक्स के भूमि पूजन पर आपत्ति जताई। उनका कहना था कि मंदिर के बगल में कॉम्प्लेक्स बनाना उचित नहीं है, जिससे स्थानीय लोगों में नाराजगी है। उन्होंने कॉम्प्लेक्स का स्थान बदलकर पुराने बस स्टैंड पर करने की मांग की।पार्षदों ने इस कॉम्प्लेक्स के प्रस्ताव की बैठक की तारीख और टेंडर की दरें स्वीकृत होने की तारीख पर स्पष्टीकरण मांगा। उन्होंने बताया कि पुराने बस स्टैंड पर कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए पहले ही आवेदन दिया जा चुका है और उसकी फाइल भी तैयार है।पार्षदों ने नजाई सब्जी मंडी में अवैध वाहन पार्किंग वसूली का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि नगर पालिका से कोई पार्किंग ठेका न होने के बावजूद 5 से 10 रुपये की अवैध वसूली की जा रही है। उन्होंने इस वसूली को तुरंत रोकने और इसमें शामिल नगर पालिका कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।इसके अतिरिक्त, पार्षदों ने बताया कि पिछले पांच महीनों से वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थियों के खातों में नहीं डाली गई है, जिससे गरीब वर्ग के लोग आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं। उन्होंने जल्द से जल्द पेंशन खातों में जमा कराने की मांग की।कचरा गाड़ियों द्वारा घर-घर से कचरा उठाने के ठेके को लेकर भी सवाल उठाए गए। पार्षदों ने ठेके के नियमों की सूची मांगी और आरोप लगाया कि ठेकेदार समझौते के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं। उन्होंने इस संबंध में ठेकेदार के साथ सभी पार्षदों की एक बैठक आयोजित करने की मांग की।इस दौरान नगर पालिका उपाध्यक्ष प्रतिनिधि संजय नायक, कांग्रेस पार्षद अनीस अहमद, देवीलाल अहिरवार, फरीद खान, अरविंद रजक सहित अन्य पार्षद मौजूद थे।

इनकी रही मौजूदगी

कांग्रेस पार्षदों द्वारा दिए गए ज्ञापन में बताया गया कि ठेकेदार के साथ सभी पार्षदों की एक बैठक आयोजित करने की मांग की। इस दौरान नगर पालिका उपाध्यक्ष प्रतिनिधि संजय नायक, कांग्रेस पार्षद अनीस अहमद, देवीलाल अहिरवार, फरीद खान, अरविंद रजक सहित अन्य पार्षद मौजूद थे।

OFFICE OF THE NAGAR PARISHAD JATARA, DIST, TIKAMGARH

Notice Inviting Tenders

Tender No 2026_UAD_519465 NIT No. 851 Date: 12/06/2026

Online Lumpsum bids for the following works under "SBM(U)-2.0" (Estimated on UADD ISSR (w.e.f. 02.08.2021)

S. No.	Scope of the work	Probable amount of contract (Rs. in lacs)	Earnest Money Deposit (EMD) (In Rs.)	Cost of Bid Document (In Rs.)	Time of Completion
1.0	1. Design and build sewage treatment plant of installed capacity 2.0 MLD and all apputenant structures and allied works. 2. Providing, Laying & Supply of 225 mn, 250mm, 30 mm & 400 mm diameter pipe line comprising of RCC NP3 pipe having length of 855 m for (Gravity Based) sewage system including sewer appurtenances as required. (Including Excavation for Manholes). 3. Construction of RCC sump well along with providing and installing pumps and pumping main Comprising of DI-K-7 class pipe of 200 mm diameter having length of 1200 m respectively from Sump well to STP for 1 nos Intermediate Sewage Pumping station. 4. Construction of 30 no's catch basins for collecting drains (nallah) having width less for more than 75 cm to main trunk for garland drain. 5. Construction of Interception Diversion Structure near outfall point. 6. Reuse of treated Used Water-Hydrant, Sump well (Capacity 45 KL), HDPE pipe & pumps 100 meter of length towards talab & Plantation of avenue trees. 7. Providing and laying of 33 KV/11KV Electrical line (HT Feeder) and Electrical Substation	486.89	243445	15000	12 months including rainy season.

Tenders are invited from registered contractors and firms of repute fulfilling eligibility criteria

1. All details relating to the Bid Document(s) can be viewed downloaded free of cost from the website. Interested Bidders can view the NIT on website www.mptenders.gov.in and www.mpurbangov.in.
2. The Bid can be purchased only online from 11:00 Hrs of 06.07.2026 to 05.30 Hrs. of 07.08.2026
3. Bid document can be purchased after making online payment of portal fees through Credit/Debit/Cash Card/Internet banking to participate.
4. At the time of submission of the Bid the eligible bidder shall be required to:
   i) Pay the cost of Bid Document;
   ii) Deposit the Earnest Money;
   iii) Submit a checklist.
   iv) Submit an affidavit.
   v) Valid registration of EPF.
   vi) Joint Venture Agreement, if any

   Details can be seen in the Bid Data Sheet
5. **ELIGIBILTY FOR BIDDERS:**
   (a) At the time of submission of the Bid, the bidder should have valid registration with the Government of Madhya Pradesh, PWD. However, such bidders who are not registered with the Government of Madhya Pradesh are eligible for registration can also submit their bids after having applied for registration with appropriate authority. However, such bidders who are not registered with the Government of Madhya Pradesh and are registered with Central Government, other State Governments, PSUs are also eligible for submission of Bids.
   (b) The bidder shall be required to have valid registration with MPPWD in appropriate class at the time of signing of the Contract.
   (c) Failure to sign the contract by the selected bidder, for whatsoever reason, shall result in forfeiture of the earnest money deposit (EMD).
4. At the time of submission of the Bid the eligible bidder shall be required to:
6. **Pre-qualification** - Prequalification conditions, wherever applicable, are given in the Bid Data Sheet.
7. **Special Eligibility** - Special Eligibility Conditions, if any, are given in the Bid Data Sheet.
8. The Bid Document can be Purchased Only Online from 11:00 Hrs 06.07.2026 to 05:30 Hrs 07.08.2026. Other key dates may be seen in Bid data sheet.
9. Amendment to NIT, if any, would be published on website only, and not in Newspaper.
10. GST shall be payable extra as per Govt. rules.
11. The Bidder shall operate and maintain the work executed in his scope for the proposed works for 10 years after successful completion of the works as per Tender. The initial period of Five year after completion shall be treated as Defect Liability Period (DLP). The payment against the O&M shall be made every year on satisfactory upkeep and running of the system at percentage rate of the sanctioned Bid cost with an increment of 6 % every succeeding year.

Chairman
Nagar Parisad Jatara
Dist. Tikamgarh (M.P.)

CMO
Nagar Parisad Jatara
Dist. Tikamgarh (M.P.)